

पश्चिम मध्य रेल
West Central Railway



मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय
कार्मिक विभाग,
कोटा

पत्र क्र. पमरे/कोटा/कार्मिक/एक्ट अप्रे/2019-20,

दिनांक : 20.01.2020

अधिसूचना

विज्ञापन क्रमांक 01/2020/कोटा मंडल

विषय: अप्रेन्टिस एक्ट 1961 के अन्तर्गत एक्ट प्रशिक्षुओं (ट्रेड अप्रेन्टिस) की भर्ती
पश्चिम मध्य रेलवे, कोटा मंडल ।

सन्दर्भ : मुख्यालय, जबलपुर का पत्र क्रमांक WCR/P-HQ/Recd./122/Act.App.,
दिनांक 10.12.2019.

अप्रेन्टिस एक्ट 1961 तथा अप्रेन्टिस नियम 1962 के अधीन प्रशिक्षण में भाग लेने
के लिए पश्चिम मध्य रेलवे, कोटा मण्डल में 647 एक्ट अप्रेन्टिस की भर्ती हेतु निम्नलिखित शर्तों
को पूरा करने वाले उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र में ऑन-लाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

1. अप्रेन्टिस एक्ट 1961 के अन्तर्गत प्रशिक्षण हेतु विभागवार निम्न कोटियों में प्रशिक्षुओं की भर्ती
निम्नानुसार पदों पर होगी:-

(1)कोटा मंडल के लिये एक्ट अप्रेन्टिसों का विवरण:

क्र.	ट्रेड	एक्ट अप्रेन्टिसों की संख्या					
		GEN	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL
1.	इलेक्ट्रीशियन	50	19	09	34	13	125
2.	फिटर(यांत्रिक)	42	16	8	28	11	105
3.	वेल्डर (इलेक्ट्रिक एंड गैस)	12	05	02	08	03	30
4.	पेन्टर (जनरल)	19	08	04	14	05	50
5.	मेसन	19	08	04	14	05	50
7.	कारपेन्टर	19	08	04	14	05	50
8.	इलेक्ट्रिकियन	19	08	04	14	05	50
9.	प्लंबर	19	08	04	14	05	50
10.	फौजर् एंड हीट ट्रीटर (ब्लैकस्मिथ)	19	08	04	14	05	50
11.	वायरमैन	02	01	00	01	01	05
12.	कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट	02	01	00	01	01	05
	कुल योग	222	90	43	156	59	570

9/1.20

(2) तुंगलकाबाद के लिये एक्ट अप्रेंटिसों का विवरण (प्रशिक्षण स्थल: BTC – TKD):

क्र.	ट्रेड	एक्ट अप्रेंटिसों की संख्या					
		GEN	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL
1	इलेक्ट्रीशियन	16	06	03	11	04	40
2	फिटर(यांत्रिक)	02	01	00	01	01	05
3	इलेक्ट्रॉनिक्स	02	01	00	01	01	05
4	वैल्डर (इलेक्ट्रिक पुंड बैस)	02	01	00	01	01	05
5	मशीनिस्ट	02	01	00	01	01	05
6	टर्नर	01	00	00	01	00	02
7	लैब असिस्टेन्स	01	00	00	01	00	02
8	सी.ओ.पी.ए.	02	01	00	01	01	05
9	पेन्टर (जनरल)	01	00	00	01	00	02
10	क्रेन ऑपरेटर	01	00	00	01	00	02
11	प्लम्बर	01	00	00	01	00	02
12	ड्राफ्टसमैन (यांत्रिक)	01	00	00	01	00	02
	कुल योग	32	11	03	22	09	77

1.1. शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों में से फिटर हेतु केवल लोको मोटर अक्षम या सेरेब्रल पॉलरी एंव बहरे विकलांग उम्मीदवार जो 40 प्रतिशत तथा उससे अधिक हो आवेदन हेतु योग्य होंगे तथा इलेक्ट्रीशियन के पद हेतु केवल अरिद्य बौध विकलांग उम्मीदवार (OH) जो 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो आवेदन हेतु योग्य होंगे. विकलांगों के लिए आरक्षण नियमानुसार किया जावेगा.

1.2. निम्नलिखित विवरण के अनुसार अप्रेंटिस हेतु भूतपूर्व कर्मचारियों के बच्चों तथा आर्म्ड फोर्स के जवानों के बच्चों हेतु 03 प्रतिशत पद आरक्षित रहेंगे.

क. प्रभावित/अपंग भूतपूर्व कर्मचारियों के बच्चे जिसमें शान्ति काल के दौरान प्रभावित/अपंग भूतपूर्व कर्मचारियों के बच्चे भी शामिल हैं.

ख. भूतपूर्व कर्मचारियों के बच्चे.

ग. सेवारत जवानों के बच्चे.

घ. सेवारत अधिकारियों के बच्चे.

च. भूतपूर्व कर्मचारी.

1.3. प्रशिक्षण हेतु प्रस्तावित एक्ट अप्रेंटिसों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है.

2. आयुसीमा :

2.1. दिनांक 01.02.2020 को उम्मीदवार की आयु 15 वर्ष से कम तथा 24 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए.

2.2. अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों को अधिकतम आयुसीमा में 05 वर्ष छूट है.

2.3. अ.पि.व. के उम्मीदवारों को अधिकतम आयुसीमा में 03 वर्ष तक की छूट है.

2.4. शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों को अधिकतम आयुसीमा में 10 वर्ष की छूट है.

IV
20.1.20

- 2.5. निर्दिष्ट जाति प्रमाण-पत्र नियत अवधि से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए.
3. **शैक्षणिक योग्यता :**
सभी ट्रेड के लिए निर्धारित स्लॉट के अधिकतम 20 प्रतिशत तक पदों के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से 10 वीं या समकक्ष परीक्षा (10+2 परीक्षा प्रणाली) न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों साथ उत्तीर्ण होनी चाहिए. शेष पदों के लिए साथ में संबंधित ट्रेड में आई.टी.आई. (10+ITI) होना अनिवार्य है. कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA) की पात्रता के लिए मैट्रिक के साथ आई.टी.आई. आवश्यक है. आवेदन की दिनांक को निर्धारित योग्यता होना आवश्यक है. प्रतीकित परीक्षा परिणाम वाले उम्मीदवार पात्र नहीं होंगे.
4. **प्रशिक्षण अवधि :**
डी.जी.ई.टी./फरीदाबाद एवं आर.डी.एस.डी.ई./जयपुर के नियमानुसार एवं रेलवे बोर्ड से जारी निर्देशानुसार.
5. **पारिश्रमिक/स्टाईपेन्ड :**
वर्तमान प्रचलित नियमानुसार बैंक खाते के माध्यम से भुगतान किया जाएगा. कृपया आधार कार्ड एवं पेन कार्ड तैयार रखें.
6. **आवेदन का तरीका :**
- 6.1. आवेदन तथा बुलावा पत्र निर्धारित फॉर्मेट में निर्धारित शुल्क एवं दस्तावेजों के साथ भरे.
ऑन -लाइन आवेदन शुल्क रु. 100/- + 70/- + जी.एस.टी. निर्धारित फीस कुल 170/- + जी.एस.टी. जमा करना है. एक बार भुगतान कर दी फीस किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं की जाएगी.
- 6.2. अजा/अजजा/शारीरिक विकलांग एवं महिला उम्मीदवारों के लिए ऑन लाइन आवेदन शुल्क रुपये 70 + 18 प्रतिशत जी.एस.टी. मात्र है.
- 6.3. आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को आश्चर्य होना चाहिए कि वे आवश्यक योग्यता तथा अन्य अर्हताएं पूरी करते हैं. अपेक्षित योग्यता नहीं होने पर या गलत सूचना देने पर प्रशासन भर्ती के किसी भी स्तर पर आवेदन को रद्द करने का अधिकार रखता है तथा यदि भूलवश भी भर्ती हो गई हो तो उन उम्मीदवारों को बिना किसी सूचना के बर्खास्त कर दिया जाएगा.
7. **अन्तिम तिथि:**
ऑन लाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 28.02.2020 समय 23.59 बजे तक है. आवेदन-पत्र का प्रिंट-आउट लेकर हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित रखें. जिसकी आवश्यकता स्क्रीनिंग के लिए बुलाए जाने पर होगी.

TV
20.1.20

8. विशेष :

जिन पात्र उम्मीदवारों को मैरिट के अनुसार स्कीनिंग हेतु बुलाया जाएगा, उन्हें अपने साथ निर्धारित आवेदन-पत्र की हार्ड कॉपी आवश्यक दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां एवं चिकित्सा प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा. इनका सत्यापन प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियों के साथ किया जाएगा, अतः प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां भी सत्यापन हेतु साथ में लाना आवश्यक है.

9. भर्ती की प्रणाली :

9.1. एकट अप्रेंटिसों का चयन 10 वीं या समकक्ष परीक्षा (10+2 परीक्षा प्रणाली) के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा.

9.2. आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को मूल प्रमाण पत्रों तथा मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र के सत्यापन के लिये बुलाया जाएगा.

9.3. उम्मीदवारों को रेलवे द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी का मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा. अधूरे भरे भपु. बिना उचित मुहर की, अस्पष्ट मुहर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित न होने वाले या किसी भी प्रकार से अधूरे मेडिकल प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं होंगे. प्रमाण-पत्र संलग्न निर्धारित फार्मेट में प्रस्तुत करें.

9.4. सत्यापन के लिए आने वाले उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार का दैनिक भत्ता या यात्रा-भत्ता नहीं दिया जाएगा.

9.5. होस्टल, आवास और भोजन सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी. अप्रेंटिस एकट 1961 के अनुसार, प्रशिक्षण के दौरान चयनित उम्मीदवारों को आवास एवं खानपान की व्यवस्था स्वयं करना होगा.

9.6. सभी उम्मीदवारों का आधार कार्ड नंबर, पैन नंबर, मोबाइल नंबर एवं ई-मेल आई डी होना आवश्यक है. समस्त सूचनाएं ई-मेल के माध्यम से प्रेषित की जाएंगी. अतः स्वयं की ई-मेल आई.डी. होना आवश्यक है.

9.7. कुल पदों का अधिकतम 20 प्रतिशत तक एकट अप्रेंटिस 10 वीं या समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों से भरी जाएंगी.

9.8. आई.टी.आई. के साथ मैट्रिक (10+ITI) और मैट्रिक पास उम्मीदवारों की संयुक्त मैरिट सूची जारी की जाएगी. किंतु, मैट्रिक पास उम्मीदवार अधिकतम 20 प्रतिशत ही प्रशिक्षण के लिए बुलाए जाएंगे.

चयनित उम्मीदवारों की सूची एम पी ऑनलाइन में अपलोड की जायेगी. कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा.

9.9. यदि चयन के समय यथोक्त भर्ती प्रक्रिया में नीतिगत परिवर्तन होते हैं तो तदनुसार चयन का मापदण्ड अपनाया जायेगा.

9.10. एकट अप्रेंटिस का कोर्स उत्तीर्ण करने के बाद रेलवे में नियुक्ति प्रदान नहीं की जाएगी. यह केवल प्रशिक्षण योजना है.

20-1-20


- 9.11. एक्ट अप्रेंटिसों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है.
- 9.12. उम्मीदवारों के द्वारा आवेदन-पत्र में दिए गए विवरण में किसी भी प्रकार की जानकारी गलत दिए जाने पर पात्रता तत्काल निरस्त कर दी जाएगी.
- 9.13. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को केन्द्रीय सेवाओं के लिए मान्य जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा. प्रमाण-पत्र संलग्न निर्धारित फॉर्मेट में प्रस्तुत करें.
- 9.14. दस्तावेजों के सत्यापन के समय अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को केन्द्रीय सरकारी प्रारूप में उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण-पत्र छः माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए. प्रमाण-पत्र संलग्न निर्धारित फॉर्मेट में प्रस्तुत करें.
- 9.15. जिन्होंने पूर्व में किसी भी संस्थान से अप्रेंटिस एक्ट के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किया है या प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं वे आवेदन करने के पात्र नहीं हैं.
- 9.16. यदि दो उम्मीदवारों के द्वारा मैट्रिक परीक्षा में समान अंक प्राप्त किए गए हैं तब अधिक आयु के उम्मीदवार को अधिमान दिया जाएगा. यदि दोनों के मैट्रिक परीक्षा में समान अंक हैं तब पहले मैट्रिक उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार को अधिमान दिया जाएगा.
- 9.17. मैट्रिक पास उम्मीदवारों की पात्रता 10 से अधिक रिक्तियों पर ही होगी.

10. ट्रेनिंग का करार :-

अप्रेन्टिस प्रशिक्षण प्रारंभ होने के पूर्व चयनित उम्मीदवारों को या यदि अभी वह नाबालिग हैं तो उसके अभिभावक को नियोक्ता के साथ अप्रेन्टिसशिप का करार करना होगा एवं डीजीईटी की साइट पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा.

11. चिकित्सा परीक्षा :-

- 11.1. रेलवे द्वारा निर्धारित मेडिकल स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (राजपत्रित, जो केन्द्रीय/राज्य चिकित्सालय में असिस्टेंट सर्जन पद से नीचे न हो) प्रस्तुत करने के बाद ही उम्मीदवार को प्रशिक्षण हेतु चयनित माना जाएगा. यदि वह शारीरिक दृष्टि से अनुपयुक्त हुआ तो उसकी पात्रता समाप्त कर दी जाएगी एवं कोई भी मुआवजा/कम्पन्सेशन नहीं दिया जाएगा.
- 11.2. प्रशिक्षण की अवधि समाप्त होने पर शिक्षुता करार समाप्त हो जाएगा. शिक्षुओं को अपना प्रशिक्षण समाप्त होने पर उन्हें महानिदेशक/डायरेक्टर जनरल रोजगार प्रशिक्षण श्रम व रोजगार मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा आयोजित अखिल भारतीय स्तर पर दस्तकारी परीक्षा देनी होगी. सफल उम्मीदवार को राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा.
12. उम्मीदवारों के चयन तथा उनके प्रशिक्षण के संबंध में प्रशासन का निर्णय अंतिम होगा. यदि यह पाया गया कि चयनित उम्मीदवार ने अपने विश्वसनीयता के सापेक्ष में गलत/झूठी सूचनाएं दी हैं तो उन्हें किसी भी स्तर पर बिना सूचना दिये प्रशिक्षण से निष्कासित कर दिया जायेगा.


 कृते मण्डल रेल प्रबन्धक (स्थापना)
 कोटा

प्रतिलिपि:- सर्वसंबंधित कोटा मण्डल.

रेलवे भर्ती बोर्ड, अजमेर और भोपाल.

महाप्रबन्धक (कार्मिक), पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर,

मंडल रेल प्रबन्धक (कार्मिक), जबलपुर और भोपाल.

मुख्य कारखाना प्रबन्धक, मडिमका-कोटा.

मुख्य कारखाना प्रबन्धक, राडिपुका भोपाल.

वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर (टीआर/एस), तुंगलकाबाद,

आखिल भारतीय एससी/एसटी इम्प्लाइज एसोशिएशन, रेलवे स्टेशन कोटा जं.

मुख्य जन सम्पर्क अधिकारी, जबलपुर को प्रेस विज्ञापित हेतु सूचनार्थ.

प्रधानाध्यापक रेलवे प्राथमिक स्कूल (का) कोटा/पोस्ट कमांडर रे. सु. बल (का.) कोटा.

सचिव, वे. से. रे. म. रांघ/वे. से. रे. ए. यू. /ओ. बी. सी. /एससी-एसटी एसो. (का.) कोटा.

क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय तीसरी मंजिल, "ए" विंग न्यू सीजीओ भवन एनएच-4 फरीदाबाद
121001.

रीजनल डायरेक्टर ऑफ रिकल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, राष्ट्रीय महिला कौशल प्रशिक्षण
केंद्र, केन्द्रीय विद्यालय नंबर 3 के सामने, झालाना इंशरी, जयपुर-302017.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी - एम.पी.ऑन-लाइन लिमिटेड भोपाल - 462001.

9/20-1/20

WEST CENTRAL RAILWAY

(To be Certified by the Government Authorized Doctor (Gazetted) not below the Rank of Assistant Surgeon of the Central/State Medical Services)

Name of the Candidate :

Father Name :

Category :

Date of Birth/Age :

Trade & Nam of Workshop/Unit :

Permanent identification marks 1.....

2.....

Photo to be attested by the Civil Surgeon who is giving the certificate with Signature and Seal

SN	Standard of Physical Fitness	Observation of Medical Officer
1	A candidate should be free evidence of any contagious or infectious disease. He should not be suffering from any disease which is likely to be aggravated by service or is likely to render him unfit for service or endanger the health of the public. He should also be free from evidence of tuberculosis in any form, active or healed.	
2	<u>Height ,Weight and Chest</u> Candidates should satisfy the following minimum standards, namely :- Height : 137 centimeters ; Weight : 25.4 Kilogram ; Chest expansion should not be less than 3.8 centimeters irrespective of size of Chest : Provide that where a candidate does not satisfy the said minimum standards but is certified in writing by a Medical Officer not below the rank of an Assistant Surgeon (Gazetted) to be physically fit for being engaged as an apprentice in a particular trade under the Apprentices Act, 1961, he may be engaged as an apprentice in that trade.	
3	<u>EYES There</u> Should be no evidence of any morbid condition of either eye of the lids of either eye which may be liable to risk of aggracation of recurrence. Standard of Vision (A) Visual acuity : *Candidates having vision in one eye shall eligible to undergo apprenticeship training except in the following seventeen trades namely :- (1) Electrician Aircraft (2) Watch and Clock Mechanic (3) Driver cum fitter (4) Surveyor (5) Process Cameraman (6) Sirdar (7) Rigger(Engg. & Chem. Industry) (8) Shortfirer/Blaster(Mines) (9) Mate (Mines) (10) Mech. Radio & Radar Aircraft (11) Ceramic Modular (12) Ceramic Caster (13) Ceramic Kiln Operator (14) Ceramic Press Operator (15) Ceramic Modeller (16) Ceramic Decorator (17) Optical worker. *Substitute vide GSR 221 dated 21 st April 1993. (B) Colour vision : Not required.	
4	<u>EARS</u> Hearing must be good in both ears and there should be no sign of suppurative disease. No hearing aid shall be permitted.	
5	<u>SKIN</u> There should be no evidence of acute or chronic skin disease or chronic ulceration.	

6	<u>SPEECH</u> Speech should preferably be without impediment.	
7	<u>ALIMENTARY SYSTEM</u> 1. Candidate should have sufficient number of natural teeth (in healthy state) for mastication. 2. Spleen should not be palpably enlarged and there should be no evidence of tenderness in the splenic area. 3. Liver should not be palpable or tender. 4. There should be no oral sepsis. 5. There should be no sugar in the urine. 6. Candidates should not be suffering from haemorrhoids, fissures in and testis anal hernia or bubonocoele or ischio-rectal abscess or hydrocele.	
8	<u>CARDIO VASCULAR SYSTEM</u> 1. Blood pressure should not exceed 85 diastolic and 140 systolic. 2. Candidates with low blood pressure (i.e. systolic below 100) should be rejected. 3. There should be no sign of any cardiovascular disease	
9	<u>RESPIRATORY SYSTEM</u> Candidates should be free from all diseases of respiratory system. There should be no deformity of chest which may cause impediment to breathing.	
10	<u>GENITO URINARY SYSTEM</u> There should be no evidence of genitor urinary disease or any abnormality.	
11	<u>SKELETAL SYSTEM</u> 1. The function of all limbs should be within normal limits. 2. There should be no evidence of serious deformity of the spinal column or of the extremities.	
12	<u>NERVOUS SYSTEM</u> There should be no evidence of any diseases of nervous system or of any mental disease.	
13	<u>GLADNULAR SYSTEM</u> There should be no evidence of tuberculosis or other disease of the glandular system including the endocrine glands.	
14	<u>X'RAY OF LUNGS</u>	
15	<u>URINE SUGAR</u>	
16	<u>BLOOD GROUP</u>	

The above named candidate is free from evidence of any contagious or infectious disease. He /She is not suffering from any diseases which is likely to be aggravated by service or likely to render him/her unfit for service or to endanger the health of the public. He /She is also free from evidence of tuberculosis in any form (active or healed) and also certified that he/she is fit to undergo Apprenticeship Training in Railway Establishments under the Apprentices Act 1961.

Signature of Medical Officer :.....
Name of Medical Officer :.....
Registration No. :.....
Designation :.....
Name of Central/State Gove. Hospital :.....
Seal of Medical Officer signing the certificate :.....

OBC CERTIFICATE FORMAT**FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POST UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA**

This is to certify that Shri/Smt./Kum* _____ son/daughter* of
 Shri _____ of village/town _____ district
 _____ in _____ state belongs to _____ community
 which is recognised as backward class under : (Indicate the sub-caste above)

- 1) Resolution No. 12011/68/93-BCC@dated 10th September 1993, published in the Gazette of India- Extraordinary - part 1, Section 1, No. 186 dated 13th September 1993
- 2) Resolution No. 12011/9/94-BCC dated 19th October 1994, published in the Gazette of India- Extraordinary - part 1, Section 1, No. 163 dated 20th October 1994
- 3) Resolution No. 12011/7/95-BCC,dated 24th May 1995, published in the Gazette of India- Extraordinary - part 1, Section 1, No. 88 dated 25th May 1995
- 4) Resolution No. 12011/44/96-BCC,dated 6th December 1996, published in Gazette of India- Extraordinary - part 1, Section 1, No. 210, dated 11th December 1996
- 5) Resolution No. 12011/68/93-BCC, published in the Gazette of India- Extraordinary No. 129, dated 8th July 1997
- 6) Resolution No. 12011/12/96-BCC, published in the Gazette of India- Extraordinary No. 184, dated 1st Sept. 1997
- 7) Resolution No. 12011/99/94-BCC, published in the Gazette of India- Extraordinary No. 236, dated 11th Dec. 1997
- 8) Resolution No. 12011/13/97-BCC, published in the Gazette of India- Extraordinary No. 239, dated 3rd Dec. 1997
- 9) Resolution No. 12011/12/96-BCC, published in the Gazette of India- Extraordinary No. 166, dated 3rd Aug. 1998
- 10) Resolution No. 12011/68/93-BCC, published in the Gazette of India- Extraordinary No. 171, dated 6th Aug. 1998
- 11) Resolution No. 12011/68/98-BCC, published in the Gazette of India- Extraordinary No. 241, dated 27th Oct. 1999
- 12) Resolution No. 12011/88/98-BCC, published in the Gazette of India- Extraordinary No. 270, dated 6th Dec. 1999
- 13) Resolution No. 12011/36/99-BCC, published in the Gazette of India- Extraordinary No. 71, dated 4th April 2000

Shri/Smt./Kum* _____ and/or his/her family ordinarily reside(s) in the _____
 District of the _____ State. This is also to certify that he/she does not belong to the
 persons/sections (Creamy Layer) mentioned in column 3 (of the Schedule to the Government of India,
 Department of Personnel & Training OM No.36012/22/93-Estt (SCT), dated 8.9.1993) and modified vide
 Government of India, Department of Personnel and Training O.M. No. 36033/3/2004-Estt. (Res) dated
 09.03.2004.

Place
 Date

DISTRICT MAGISTRATE/DY. COMMISSIONER ETC.

*Strike out whichever is not applicable

(with seal of office)

NB: (a) The term 'ordinarily' used here will have the same meaning as in section 20 of the Representation of Peoples Act 1950. (b) The Authorities competent to issue caste certificates are indicated below : (i) District Magistrate / Additional Magistrate/ Collector / Deputy Commissioner / Additional Deputy Commissioner/ Deputy Collector / 1st class Stipendiary Magistrate/ Sub-Divisional Magistrate/ Taluk Magistrate / Executive Magistrate/ Extra Assistant Commissioner (not below the rank of 1st class Stipendiary Magistrate). (ii) Chief Presidency Magistrate/ Additional Chief Presidency Magistrate / Presidency Magistrate (iii) Revenue officer not below the rank of Tahsildar, and (iv) Sub-Divisional Officer of the area where the Candidate and or his family resides.

FORM OF CASTE CERTIFICATE FOR SC/ST

A candidate who claims to belong to one of the scheduled caste or scheduled tribe should submit in support of his/her claim a self attested copy of a certificate in the form given below from the district magistrate or the sub-divisional officer or any other officer as indicated below of the district in which his/her parents (or surviving parents) ordinarily reside and who has been designated by the State Government concerned as competent to issue such a certificate. If both the parents are dead, the officer signing the certificate should be of the district in which the candidate himself/herself resides otherwise than for the purpose of his/her own education. Wherever, photograph is an integral part of the certificate, the RRB would accept only self attested photocopies of such certificates and not any other attested or true copy.

(The Form of the certificate to be produced by Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates applying for appointment to posts under the Government of India)

This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari* _____ of village/Town* _____ in District/Division* _____ son/daughter* of _____ of State/Union Territory* _____ belongs to the _____ Caste/Tribe* which is recognised as a Scheduled Caste /Scheduled Tribe* under :-

The Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950* The Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950*
 The Constitution (Scheduled Castes)(Union Territories) Order, 1951* The Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951*
 (As amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists(Modification)Order, 1956 the Bombay Re-organisation Act, 1960 the Punjab Re-organisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970 and the North Eastern Area(Re-organisation)Act, 1971 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders, (Amendment) Act, 1976)
 The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956@
 The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959@ as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1978@
 The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962@ The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962@
 The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964@
 The Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967@
 The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968@
 The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968@
 The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970@
 The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978@
 The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978@
 Shri/Shrimati/Kumari* _____ and /or his/her* family, reside(s) in village/Town* _____ of _____ District/Division* of the State/Union Territory* of _____

Signature _____
 ** Designation _____
 (With seal of office) State/Union Territory*

Place _____

Date _____

*Please delete the words which are not applicable

@ Please quote the specific presidential order.

Note: The term "ordinarily reside(s)" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

** Officers competent to issue Caste/Tribe certificates:

** District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/ 1st Class Stipendiary magistrate/City Magistrate/Sub-Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/ Executive Magistrate/ Extra Assistant Commissioner (not below the rank of 1st class Stipendiary Magistrate)Chief Presidency Magistrate / Additional Chief Presidency Magistrate/ Presidency Magistrate/ Revenue Officer not below the rank of Tahsildar/ Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and /or his/her family normally reside(s)

Note: ST candidates belonging to Tamilnadu State should submit caste certificate ONLY from the REVENUE DIVISIONAL OFFICER.